

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 204/2017 ( उदयपुर डिक्री )

श्री हिम्मतसिंह पिता श्री महोब्त सिंह निवासी दोवडाई तहसील मावली जिला  
उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली

..... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड  
अधिकारी मावली दिनांक 25-09-2017 प्रकरण  
संख्या 305/2012 वाद

उपस्थित :-1- श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्त  
2-श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

-----/-----

निर्णय

दिनांक 09-01-2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्त द्वारा प्रतिवादी सरकार के विरुद्ध एक वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भानसोल में स्थित आराजी नंबर 1532मीन रकबा 145 बीघा 14 बिस्वा भूमि है। इस भूमि में से 5 बीघा भूमि आदेश दिनांक 16-7-1982 से उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर ने आवंटित की। जिसके खसरा नंबर 2703/1532 पड़े। यह भूमि वादी की माता भंवरकुंवर को आवंटित हुई थी तथा 35 वर्षों से उनका कब्जा है तथा उन्होंने इस भूमि को आबादान किया है। प्रतिकूल कब्जे से भी वे खातेदार बन गये हैं। सरकार जरिये तहसीलदार की और से खण्डन का जवाब पेश किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की :-

1. आया वादी मौजा भानसोल की आराजी नंबर 1532 मी. रकबा 135 बीघा 14 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि दिनांक 16-07-82 को वादी के नाम आवंटन हुई। जिसके नये नम्बर 2703/1532 पड़े एवं 5 बीघा भूमि दिनांक 16-07-82 को वादी की माता भंवरकुंवर को आवंटन हुई। जिसके नम्बर 2702/1532 पड़े? ..... वादी
2. आया वादी उक्त आराजीयात पर पिछले 32 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। भूमि नाम पर नहीं होने से भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है? ..... वादी
3. आया वादी वाद वर्णित भूमि वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म मंगरी है। इसलिए मंगरी में कृषि नहीं होती है। उक्त भूमियों का आवंटन नियमन नहीं किया जाता है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है? ..... प्रतिवादी
4. अपुतोष।

प्रकरण में वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 12-09-2017 को प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा गवाह पेश नहीं करना चाहा। पैरेकार सरकार ने भी गवाह पेश नहीं करना चाहा। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25-09-2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12-12-2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा-5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्त ने अपील में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अधिवक्ता द्वारा

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्त खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्त के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या-1 में आवंटन होना माना है, उसके बावजूद कब्जा नहीं होना मानकर त्रुटिपूर्ण वाद खारिज किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि अपीलान्त की माता को वर्ष 1981 में 5 बीघा भूमि आवंटन होने व उसका कब्जा सिपुर्द करने व आवंटन आदेश जारी होने तथा नामान्तरकरण खुल जाने तक के वर्ष 1981-82 के दस्तावेज प्रस्तुत करता है, परन्तु वर्ष 1981-82 के वाद दायरी वर्ष 2012 के 31-32 वर्षों तक उसका कब्जा रहा है अथवा नहीं यह सिद्ध करना वादी अपीलान्त का दायित्व था। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि “कब्जा नहीं तो घोषणा नहीं” तदनुसार वादी ने अपने भार सिद्ध दायित्व कब्जे को प्रमाणित नहीं करवाया है। अतएव बिना कब्जे के खातेदारी घोषणा नहीं किये जाने का अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से उचित है।

अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25-09-2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल.एन.मंत्री )  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

## डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री हिम्मतसिंह पिता श्री महोबतसिंह      बनाम      राजस्थान राज्य जरिये  
निवासी दोवडाई तहसील मावली      तहसीलदार मावली  
जिला उदयपुर (राज0)      जिला उदयपुर (राज0)

अपील नं0 204/2017 बनाराजगी डिगरी अदालत..... उपखण्ड अधिकारी  
..... मावली ..... मुकाम मुखर्षे.....25.....माह.....09..... 2017

### दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....09..... माह .....01..... सन् 2019 रूबरू.....  
पक्षकारान व हाजरी...श्री तुलसीराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्त व  
.....श्री पंकज भटनागर ..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर  
हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ  
न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25-09-2017 यथावत रखा जाता है।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.....  
X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....09..... माह ...01..... 2019  
को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

### खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .....					
..स्टाम्प वकालत नामा....					
2. इजराय हुक्मनामा .....					
3. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					
...					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।



